समाहरणालय, मधेपुरा

आदेश

प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 100 एवं 101, दिनांक 16-01-2016 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक 21-01-2016 को 03:00 बजे माननीय मुख्यमंत्री द्वारा **''मद्य निषेध अभियान''** का शुभारंभ श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण BSWAN एवं टी0वी0 चैन्लस के द्वारा राज्य /जिला में किया जाएगा। उक्त कार्यक्रम को राज्य स्तर एवं जिला स्तर पर सफल बनाने हेतु निम्नांकित व्यवस्था की जानी है :-

1-जिला स्तर पर कला भवन, मधेपुरा में संबंधित कार्यक्रम सम्पन्न किए जायेंगे, जिसमें निम्नांकित भाग लेंगे -

(क) साक्षरता कार्यकर्त्ता यथा- टोला सेवक /तालिमी मरकज के स्वयंसेवक, प्रेरक, के0आर0पी0 समूह तथा सदस्य, राज्य संसाधन समूह।

(ख) जीविका /स्वयं सहायता समूह की महिलायें।

(ग) साक्षरता कला जत्था के कलाकार।

(घ) जिला स्तर के पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, एक्साइज के पदाधिकारी।

2-दिनांक 20-01-2016 को प्रसारण का Trial Run होगा तथा दिनांक 21-01-2016 को वास्तविक कार्यक्रम का प्रसारण होगा।

3-कार्यक्रम स्थल पर आवश्यक सामग्री की व्यवस्था दिनांक 20-01-2016 एवं 21-01-2016 को कर ली जाए, ताकि Satellite TV Channel के प्रसारण को बड़े स्क्रीन पर सीधे दिखाया जा सके।

4-Web strem server पर record कर इंटरनेट के माध्यम से webcast भी कराया जाए, जिसमें चिन्हित जगह पर webcasting के लिए आवश्यक उपकरणों तथा 2 Mbps का Internet lease line, एक computer system/ Laptop (i5 with 4 GB RAM0, LED screen or projector with screen तथा sound system की व्यवस्था कला भवन हेतु जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा करना सुनिश्चित करेंगे। सभी प्रखण्ड कार्यालयों में इसका आयोजन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी एवं अंचलाधिकारी वहीं करेंगे। संबंधित प्रखण्ड के कर्मियों को प्रशिक्षण जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी करायेंगे। स्क्रीन पर सीधा प्रसारण करने संबंधी कार्यक्रम /विधि/ Simple Diagram संलग्न है।

5-जिले से 10 चिन्हित महिला कर्मी (टोला सेवक-2 (एक महिला एक पुरुष), शिक्षा सेवी-2 (एक महिला एक पुरुष), प्रेरक-2 (एक महिला एक पुरुष), के0आर0पी0-2(एक महिला एक पुरुष) एवं 01 एस0आर0जी0 एवं महिला प्रखण्ड समन्वयक (साक्षर भारत)। सभी 10 सदस्य एस0आर0जी0 के नेतृत्व में पटना समारोह स्थल श्रीकृष्ण मेमोरियल हॉल, पटना में 12:00 बजे तक पहुंच जाए, इसे जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा ससमय सुनिश्चित करें।

6-डी0पी0एम0, जीविका /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0, मधेपुरा एवं सिविल सर्जन, मधेपुरा यह सुनिश्चित करेंगे कि आंगनवाड़ी सेविका /सहायिका, आशा कार्यकर्त्ता, जीविका सभा की दीदी प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र पर जमा होगी और 01:00 बजे अप0 वहां से जुलूस के रूप में प्रखण्ड के आयोजन स्थल तक पहुंचेगी, जिसमें मद्य निषेध से संबंधित नारे, गीत आदि का उच्चारण किया जाएगा। प्रखण्ड कार्यक्रम स्थल पर 02:00 बजे अप0 से यह कार्यक्रम प्रारंभ हो जायेगा, जिसका उद्घाटन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रभारी चिकित्सा

पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। 02:00 बजे से 03:00 बजे के बीच साक्षरता गीत, कला जत्था हो तो उसका कार्यक्रम, जीविका दीदी का गीत आदि की प्रस्तुति हो एवं 03:00 बजे से माननीय मुख्यमंत्री का विडियो कॉन्फ्रेसिंग शुरू हो जाएगी।

7-जिला जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि उक्त कार्यक्रम का स्थानीय अखबारों में कभरेज हो, इसके लिए सभी स्थानीय पत्रकारों को अपने स्तर से आमंत्रित किया जाए। साथ ही कार्यक्रम का विडियोग्राफी भी करायी जाए।

8-जिला स्तरीय मद्य निषेध कार्यक्रम की रूप-रेखा संलग्न है।

9-जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा /जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 /सिविल सर्जन, मधेपुरा को निदेशित किया जाता है कि सभी प्रखण्डों में मद्य निषेध से संबंधित जागरूकता रैली समय-समय पर (21-01-2016 तक) अपने-अपने माध्यम से निकालना सुनिश्चित करेंगे।

अतः जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि अधीक्षक, उत्पाद, मधेपुरा से समन्वय स्थापित कर माननीय मुख्यमंत्री के संबोधन का विडियो कॉन्फ्रेंस, टी0वी0 चैनल के माध्यम से लाईव टेलिकास्ट का प्रसारण एवं अन्य कार्यक्रमों को ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

ह0/-
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

ज्ञापांक......58/ऊ......, मधेपुरा, दिनांक......19.01.16.

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, मधेपुरा /उप विकास आयुक्त, मधेपुरा /सिविल सर्जन, मधेपुरा /अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज /जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी जिला स्तरीय पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं उक्त तिथि को कला भवन, मधेपुरा में ससमय उपस्थित होने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी /सभी अंचलाधिकारी /सभी थानाध्यक्ष /सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी /सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना एवं जनसम्पर्क पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं प्रचार-प्रसार कराने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/1/16
पुलिस अधीक्षक
मधेपुरा।

19/1/16
जिलाधिकारी
मधेपुरा।

अनुलग्नक—1

जिला स्तरीय मद्य निषेध कार्यक्रम की रूप—रेखा।
दिनांक— 21.01.2016

1. कार्यक्रम का उद्घाटन – जिला पदाधिकारी द्वारा द्वीप प्रज्जवलन के माध्यम से – 02:00 बजे ।
2. समूह गान– जीविका एवं साक्षरता कर्मिय द्वारा (मद्य निषेध पर आधारित) – 02:15 से 03:00 बजे तक।
3. माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सीधा प्रसारण, एस0के0मेमोरियल हॉल, पटना से का अवलोकन – 03:00 से 04:00 बजे तक।
4. जीविका सदस्यों द्वारा मद्य निषेध से संबंधित सफल अनुभवों की प्रस्तुति।
5. उत्पाद अधीक्षक द्वारा मद्य निषेध से संबंधित सरकार की अधिसूचना एवं नीति की व्याख्या।
6. पुलिस अधीक्षक द्वारा मद्य निषेध से संबंधित कार्य योजना।
7. जिला पदाधिकारी द्वारा मद्य निषेध पर मार्गदर्शन।
8. जिला पदाधिकारी के नेतृत्व में उपस्थित व्यक्तियों द्वारा मद्य निषेध से संबंधित शपथ ग्रहण।
9. धन्यवाद ज्ञापन – जिला परियोजना प्रबंधक जीविका)।

***

I. Satellite TV Channel के माध्यम से सीध प्रसारण हॉल में screen पर प्रदर्शित करने के लिए:-

1. आवश्यक सामगी/ उपस्कर (4 Screen पर प्रदर्शन हेतु):-

i)	HDMI port / VGA Port युक्त TV	-	1
ii)	HDMI/ VGA splitter (4 output port वाला)	-	1
iii)	LCD/LED TV अथवा projector with screen जिसमें उच्च स्तरीय Sound system एवं VGA/HDMI input/output port हो	-	4
iv)	TV हेतु cable/ Dish/Set top Box connection. जो HDMI/ VGA output देता हो		
v)	A/v (Audio/Visual) Connectors	-	5

2. प्रदर्शन की विधिः-

Step 1	:-	Cable संवर्द्धन युक्त TV set का अधिष्ठापन
Step 2	:-	इस TV से Audio Video (AV) output splitter से जोड़ना
Step 3	:-	Splitter के प्रत्येक output से LCD projector को जोड़कर output screen पर दिखाना ।

II. Computer System/ Laptop के माध्यम से Internet द्वारा Webcasting का सीधा प्रसारण हॉल में Schreen पर प्रदर्शित करने के लिए:-

1. आवश्यक सामग्री/ उपस्कर (4 screen पर प्रदर्शन हेतु):-

i)	Computer system/ Laptop (i5 with 4GB Ram) जिसमें VGA/HDMI output port हो ।		
ii)	VGA/ HDMI Splitter (4 output port के साथ)	-	1
iii)	LCD/LED TV अथवा projector with screen जिसमें उच्च स्तरीय Sound system एवं VGA/HDMI input/output port हो	-	4
iv)	Computer/Laptop हेतु 2 Mbps Internet Connection		
v)	A/v (Audio/Visual) Connectors	-	5

2. प्रदर्शन की विधिः-

Step 1	:-	Internet संवर्द्धन युक्त Computer/Laptop का अधिष्ठापन
Step 2	:-	BSWAN Manpower द्वारा webcasting हेतु दिये गये URL को Internet Explorer web browser पर खोलना
Step3	:-	Computer/Laptop के HDMI/VGA output port से splitter से जोड़ना
Step 4	:-	Splitter के प्रत्येक output से LCD/LED TV अथवा projector को जोड़कर screen पर दिखाना ।

नोट:- उक्त अधिष्ठापित System का Trial Run शिक्षा विभाग द्वारा संसूचित तिथि पर किया जायेगा